

# कार्यालय—निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :-शिविरा/माध्य/छाप्रोग्र/बी/असंपूमैछा/2020-21/

दिनांक :- 04.08.2020

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी  
(माध्यमिक—मुख्यालय),  
समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी  
समग्र शिक्षा अभियान

**विषय :-** अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (N.S.P.) पर वर्ष 2020-21 में लम्बित स्कूलों/संस्थाओं को के.वाई.सी.(KYC) पंजीकरण में प्रगति नहीं होने के क्रम में।

**प्रसंग :-** अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली का पत्र 18/06/20-Scholarship-Moma दिनांक 03.08.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा संचालित अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु National Scholarship portal(NSP) पर वर्ष 2020-21 में लम्बित स्कूलों/संस्थाओं को के.वाई.सी.(KYC) पंजीकरण की पोर्टल आरंभ होने से 20 दिन बाद भी आज दिनांक तक कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है। लंबित संस्थानों की जिलेवार सूची संलग्न है। इसे भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा गंभीरता से लिया गया है। इससे प्रतीत हो रहा है कि सभी जिला शिक्षा अधिकारी (DNO) द्वारा इस कार्य में व्यक्तिगत रूचि नहीं ले रहे हैं। अतः सभी जिला शिक्षा अधिकारी (DNO'S) को पुनः निर्देशित किया जाता है कि DBT Mission cabinet सचिवालय द्वारा सत्र 2020-21 में NSP Portal पर विद्यार्थियों के लिये आवेदन करने से पहले यह आवश्यक है कि लंबित विद्यालयों/संस्थानों के KYC पंजीकरण की प्रक्रिया शत प्रतिशत पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें।

**इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।**

संलग्न—

- 1.लंबित संस्थानों की जिलेवार सूची
- 2.KYC पंजीकरण की प्रक्रिया का User Manual

2/राक 30  
4.8.2020

प्रभारी अधिकारी (छात्रवृत्ति)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

Institute Verification Status as on 30 July 2020 - in which applicants applied AY 201920-202021(Fresh and renewal)

State	District	No. of Institutes in which applicants applied			No. of institutes where			No. of Institutes Verified by			No. of Institutes not submitted registration				
		Total	With AISHE	With DISE/NCVT	With AISHE	With DISE/NCVT	Total	With AISHE	With DISE/NCVT	Total	With AISHE	With DISE/NCVT	Without AISHE/DI SE/NCVT Null		
RAJASTHAN	AIMER	549	72	449	28	17	1	16	399	70	329	133	1	104	28
RAJASTHAN	ALWAR	1202	128	1054	20	22	0	22	890	119	771	290	9	261	20
RAJASTHAN	BANSWARA	214	40	169	5	1	1	0	201	36	165	12	3	4	5
RAJASTHAN	BARAN	363	32	330	1	1	0	1	329	27	302	33	5	27	1
RAJASTHAN	BARMER	212	23	173	16	1	0	1	163	21	142	48	2	30	16
RAJASTHAN	BHARATPUR	909	78	806	25	6	1	5	844	69	775	59	8	26	25
RAJASTHAN	BHILWARA	680	41	625	14	5	0	5	603	40	563	72	1	57	14
RAJASTHAN	BIKANER	653	61	569	23	7	2	5	552	58	494	94	1	70	23
RAJASTHAN	BUNDI	370	23	345	2	1	0	1	352	23	329	17	0	15	2
RAJASTHAN	CHITTAURGARH	447	48	386	13	2	0	2	395	47	348	50	1	36	13
RAJASTHAN	CHURU	813	83	704	26	7	3	4	653	72	581	153	8	119	26
RAJASTHAN	DAUSA	539	69	459	11	13	0	13	413	67	346	113	2	100	11
RAJASTHAN	DHAUJPUR	382	41	323	18	6	1	5	287	39	248	89	1	70	18
RAJASTHAN	DUNGARPUR	190	24	162	4	7	0	7	166	24	142	17	0	13	4
RAJASTHAN	GANGANAGAR	1428	128	1226	74	3	0	3	1170	126	1044	255	2	179	74
RAJASTHAN	HANUMANGARH	1106	124	949	33	9	0	9	988	121	867	109	3	73	33
RAJASTHAN	JAIPUR	2076	426	1437	213	38	9	29	1483	388	1095	555	29	313	213
RAJASTHAN	JAISALMER	146	8	137	1	0	0	0	141	8	133	5	0	4	1
RAJASTHAN	JALOR	219	23	192	4	0	0	0	211	22	189	8	1	3	4
RAJASTHAN	JHALAWAR	318	34	275	9	0	0	0	304	34	270	14	0	5	9
RAJASTHAN	JHUNJHUNUN	986	159	814	13	3	0	3	847	144	703	136	15	108	13
RAJASTHAN	JODHPUR	686	118	554	14	13	1	12	505	112	393	168	5	149	14
RAJASTHAN	KARAULI	410	35	370	5	3	0	3	325	34	291	82	1	76	5
RAJASTHAN	KOTA	811	107	660	44	0	0	0	685	103	582	126	4	78	44
RAJASTHAN	NAGAUR	1204	102	1071	31	7	1	6	962	94	868	235	7	197	31
RAJASTHAN	PALI	324	38	278	8	2	0	2	295	37	258	27	1	18	8
RAJASTHAN	PRATAPGARH	193	13	174	6	0	0	0	172	13	159	21	0	15	6
RAJASTHAN	RAJSAMAND	141	25	115	1	6	1	5	119	24	95	16	0	42	1
RAJASTHAN	SAWAI MADHOPUR	674	44	610	20	1	1	0	611	43	568	62	0	162	20
RAJASTHAN	SIKAR	955	155	788	12	12	1	11	758	143	615	185	11	162	12
RAJASTHAN	SIROHI	144	17	123	4	0	0	0	121	16	105	23	1	18	4
RAJASTHAN	TONK	752	64	675	13	5	0	5	670	64	606	77	0	64	13
RAJASTHAN	UDAIPUR	429	120	274	35	4	1	3	281	111	170	144	8	101	35
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>20525</b>	<b>2503</b>	<b>17276</b>	<b>746</b>	<b>202</b>	<b>24</b>	<b>178</b>	<b>16895</b>	<b>2349</b>	<b>14546</b>	<b>3428</b>	<b>130</b>	<b>2552</b>	<b>746</b>

Cell-13  
(सहायक सचिव)  
urgent  
21/10  
4.8.2020

No. 18/06/20-Scholarship-MoMA  
Government of India  
Ministry of Minority Affairs

11th Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan,  
CGO Complex, Lodhi Road,  
New Delhi- 110003,  
Dated: 03.08.2020

To  
The Principal Secretary/Secretary  
All State Governments/UT Administrations.

Subject: Implementation of Pre-Matric, Post-Matric and MCM Scholarship Schemes for minorities on National Scholarship Portal (NSP) in FY 2020-21- No Progress in KYC Registration of Institutes reg.-

Sir/Madam,

Please refer to this Ministry's letter No. 18/06/20-Scholarship-MoMA dated 09.07.2020 sent to the Principal Secretaries/Secretaries wherein the States/UTs were requested to complete the process of KYC registration of pending schools/institutes on the National Scholarship Portal (NSP). A State-wise and District-wise summary of total 85,446 pending institutions was also shared.

2. As per the present NSP report, it has been observed that so far, after more than 20 days, there is no noticeable progress in KYC registration in the list of 85,446 pending institutions. A State-wise and District-wise summary of all pending institutions is attached again for reference. This shows that due attention is not being paid by the State Nodal Officers/ District Nodal Officers (SNOs/DNOs) to the preparatory work, required for implementation of scholarship schemes for 2020-21.

3. It is requested that all SNOs may again be directed to make all out efforts to complete the KYC registration process prior to the opening of NSP portal for FY 2020-21 to ensure smooth implementation of 3 Scholarships Schemes of MoMA.

Yours faithfully,

-Sd/-

(Aditya S. Singh)

Under Secretary to the Government of India

Copy to:

The State Nodal Officer- All State Governments/UT Administrations.

## संस्थान और संस्थान के नोडल अधिकारियों के पंजीकरण की प्रक्रिया तथा जिला/राज्य नोडल अधिकारियों द्वारा मान्यता प्रदान करना

### 1. संस्थान पंजीकरण प्रक्रिया

- क) एनएसपी पर पंजीकरण से पहले संस्थान/विद्यालय/आईटीआई के पास एक वैध एआईएसएचई/डीआईएसई/एनसीवीटी/एससीवीटी कोड होना चाहिए। यह जानने के लिए कि संस्थान/विद्यालय/आईटीआई एनएसपी पोर्टल पर पंजीकृत है या नहीं, <https://scholarships.gov.in> पर जाएं और "search Institute/school/ITI" पर क्लिक करें।
- ख) संस्थान/विद्यालय/आईटीआई जिनके पास वैध एआईएसएचई/डीआईएसई/एनसीवीटी/एससीवीटी कोड हैं और एनएसपी पर पंजीकृत नहीं है। वे एनएसपी पर दर्ज की गई किसी भी छात्रवृत्ति योजना के जिला या राज्य नोडल अधिकारी से उसे एनएसपी पर डालने के लिए अनुरोध कर सकते हैं।
- ग) जिला या राज्य नोडल अधिकारी एआईएसएचई/डीआईएसई/एनसीवीटी/एससीवीटी कोड पर आधारित संस्थान को ढूँढ़ेंगे। यदि संस्थान पंजीकृत नहीं है, तो नोडल अधिकारी अपेक्षित विवरण उपलब्ध करवा कर उसे लोड करवा सकता है। प्रणाली द्वारा सृजित उपयोगकर्ता प्रमाण और पासवर्ड दिए गए मोबाइल नं० पर भेजा जाएगा।

### 2. संस्थान का नोडल अधिकारी:-पंजीकरण प्रक्रिया

- क) शैक्षणिक वर्ष 2019-20 से, प्रथम बार लॉगिन करने वाले संस्थान को अनिवार्य रूप से संस्थान के नोडल अधिकारी का पंजीकरण प्रपत्र भरना होगा।
- ख) संस्थान का नोडल अधिकारी उपयोगकर्ता के प्रमाण का उपयोग करते हुए एनएसपी पर लॉगिन करेगा, तथा उसके विवरण की प्रविष्टि करते हुए और पहचान दस्तावेज को अपलोड करते हुए संस्थान के नोडल अधिकारी के पंजीकरण प्रपत्र को पूरा भरेगा। संस्थान का नोडल अधिकारी प्राप्त हुए ओटीपी का प्रयोग करते हुए प्रपत्र को लॉक करने के पश्चात उसका प्रिंट लेगा, प्रपत्र पर उसका फोटोग्राफ चिपकाएगा, संस्थान के प्रमुख द्वारा उसे सत्यापित (हस्ताक्षर एवं संस्थान की सील/मोहर) कराएगा, वास्तविक फॉर्म को एनएसपी पर दर्ज किसी भी योजना के संबंधित जिला अथवा राज्य नोडल अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
- ग) जिला अथवा राज्य नोडल अधिकारी वास्तविक फॉर्म तथा सिस्टम में प्रविष्टि किए गए विवरण का सत्यापन करेगा तथा अपने लॉगिन में प्रशासन भाग के अधीन "Verify Institute Registration Form" के विकल्प का उपयोग करते हुए एनएसपी पर संस्थान के नोडल अधिकारी के पंजीकरण प्रपत्र के ब्यौरों को अनुमोदित/अस्वीकृत करेगा। उपयोगकर्ता के प्रमाण तथा नया पासवर्ड संस्थान के नोडल अधिकारी के पंजीकृत मोबाइल नं० पर भेजे जाएंगे। फॉर्म की मूल वास्तविक प्रति जिला अथवा राज्य नोडल अधिकारी के पास रहेगी तथा उसकी छायाप्रति संस्थान के नोडल अधिकारी को भेजी जाएगी जो उसे संस्थान के रिकार्ड में रखेगा।
- घ) संस्थान का नोडल अधिकारी अपने मोबाइल नं० पर प्राप्त नए उपयोगकर्ता के प्रमाण, पासवर्ड तथा ओटीपी का उपयोग करते हुए लॉगिन कर सकता है। संबंधित अधिकारी एनएसपी पर संस्थान के लॉगिन पृष्ठ पर "Forgot Password" पर क्लिक करते हुए पासवर्ड को रीसेट कर सकता है।
- ङ) पंजीकरण के मामलों हेतु, जहां संस्थान के पूर्व नोडल अधिकारी को स्थानांतरित कर दिया गया है तथा जिसने नए संस्थान के नोडल अधिकारी को लॉगिन प्रमाण उपलब्ध नहीं कराए हैं, वहां

संस्थान का नया नोडल अधिकारी औपचारिक रूप से जिला अथवा राज्य नोडल अधिकारी को मोबाइल नं0 बदलने तथा नए मोबाइल नं0 पर लॉगिन प्रमाण भेजने का अनुरोध करेगा। नया नोडल अधिकारी अपने प्रमाण-पत्रों के साथ प्रोफाइल को अद्यतन करने के लिए जिम्मेदार है।

- च) यदि संस्थान के नए नोडल अधिकारी की पूर्व नोडल अधिकारी तक पहुंच है, तो मौजूदा नोडल अधिकारी द्वारा पंजीकृत मोबाइल नं0 बदला जा सकता है। सिस्टम पुराने मोबाइल नं0 पर आए हुए ओटीपी तथा पंजीकृत किए जाने वाले नए मोबाइल नं0 की मांग करता है। मौजूदा नोडल अधिकारी भी नए नोडल अधिकारी के प्रमाण-पत्रों के साथ प्रोफाइल को अद्यतन करने के लिए मुख्यता: जिम्मेदार है।

### 3. जिला/राज्य/मंत्रालय का नोडल अधिकारी:—संस्थान (संस्थानों) को शामिल करना/सत्यापन

- क) जिला/राज्य/मंत्रालय का नोडल अधिकारी अपने प्रोफाइल में प्रशासन भाग के अधीन “Reset Institute Login Password” के विकल्प का उपयोग करते हुए पंजीकृत संस्थान के पासवर्ड को रीसेट करता है। वह संस्थान के नाम अथवा एआईएसएचई/डीआईएसई/एनसीवीटी/एससीवीटी कोड का उपयोग करते हुए संस्थान की खोज करेगा। वह खोज परिणामों में दर्शायी गई सूची में से संस्थान का चयन करेगा तथा “पासवर्ड को रीसेट करें” पर क्लिक करेगा। उसे इस विकल्प के माध्यम से संस्थान के नोडल अधिकारी का मोबाइल नं0 बदलने की सुविधा भी प्राप्त है, ताकि वर्तमान अधिकारी के मोबाइल नं0 पर ओटीपी प्राप्त हो सके।

- ख) जिला/राज्य/मंत्रालय का नोडल अधिकारी अपने प्रोफाइल में प्रशासन भाग के अधीन “Add Institue/School” के विकल्प का उपयोग करते हुए नए संस्थान को शामिल कर सकता है। वह संस्थान के नाम अथवा एआईएसएचई/डीआईएसई/एनसीवीटी/एससीवीटी कोड का उपयोग करते हुए संस्थान की खोज करेगा। यदि संस्थान पहले से पंजीकृत है, तो जिला/राज्य/मंत्रालय का नोडल अधिकारी पासवर्ड को रीसेट कर सकता है। यदि संस्थान पंजीकृत नहीं है, तो वह संस्थान के नोडल अधिकारी का नाम तथा मोबाइल नं0 विवरण उपलब्ध कराते हुए संस्थान को पंजीकृत कर सकता है तथा संस्थान के उपयोगकर्ता प्रमाण (User Credentials) सृजित कर सकता है। User Credentials सिस्टम द्वारा जेनरेट किए जाएंगे तथा दिए गए मोबाइल नं0 पर एसएमएस के तौर पर भेजे जाएंगे। फिर संस्थान का नोडल अधिकारी प्रक्रिया के अनुसार संस्थान के नोडल अधिकारी के पंजीकरण हेतु आगे की कार्रवाई कर सकता है।

- ग) जिला/राज्य/मंत्रालय का नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि संस्थान के नोडल अधिकारी का पंजीकरण, संस्थान के नोडल अधिकारी द्वारा फोटोग्राफ तथा पहचान प्रमाण के साथ प्रस्तुत संस्थान के प्रमाणित पंजीकरण प्रपत्र का वास्तविक रूप में सत्यापन के पश्चात एनएसपी पोर्टल पर अनुमोदित किया गया हो।